


पुनर्वास नीति

दिसम्बर 1998




टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

Tehri Hydro Development Corporation Limited

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)



Farming at Bhaniyawala Rehabilitation Site

भानियावाला पुनर्वास स्थल पर खेती


मुख पृष्ठ :

बादशाही थौल (नए टिहरी शहर)
में गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर

Front Cover :

Garhwal University Complex at
Badshahi Thaul (New Tehri Town)

पुनर्वास नीति



अद्यतन एवं संशोधित

09.12.1998 से प्रभावी



टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)



पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा पुनर्वास संबंधी कार्य वर्ष 1976 से शुरू किया गया था। पुनर्वास नीति, जिसमें नया टिहरी शहर की अवस्थिति सम्मिलित है, को स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर निर्णय लेकर बनाया गया था। टी०एच०डी०सी० के गठन तथा इसे पुनर्वास संबंधी कार्य के हस्तांतरण के पश्चात पुनर्वास नीति, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी, कारपोरेशन द्वारा पूरी तरह से अपना ली गई थी और बाद में प्रतिपूर्ति राशि में, जहां आवश्यक था, वृद्धि की गई थी। प्रभावित जनता और स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत के पश्चात ग्रामीण और शहरी दोनों पुनर्वास के लिए टी०एच०डी०सी० द्वारा सुधारों के एक व्यापक पैकेज का निर्णय 1995 में लिया गया था, जिसे 01.09.1995 से प्रभावी किया गया था।

चूंकि टिहरी परियोजना में संबंधित कुल्लेक पुनर्वास और पर्यावरणीय मुद्दों की पुनः जांच करने के लिए कुछ मांगें प्राप्त हो रही थीं, भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के का.जा. सं. 19/18/96-हाइडेल-11 दिनांक 17 सितम्बर, 1996 के अन्तर्गत टी०एच०डी०सी० द्वारा क्रियान्वित की जा रही टिहरी जल विद्युत परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं और पुनर्वास की जांच करने के लिए प्रो० सी. एच. हनुमन्ता राव, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। पुनर्वास के संबंध में समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित पहलू सम्मिलित थे :

- (i) परियोजना के लिए पुनर्वास नीति की जांच करना और आशोधनों, यदि कोई हों, के बारे में सुझाव देना और
- (ii) पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन की जांच करना और कार्यान्वयन में कमी (लकड़ना) यदि कोई हो तो, उसके संशोधन के लिए उपाय सुझाना।

समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1997 में प्रस्तुत की, जिसमें समिति ने पुनर्वास, पर्यावरण और संबंधित पहलुओं पर अनेकों सिफारिशों की थीं।

हनुमन्ता राव समिति (एच.आर.सी.) द्वारा की गई सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर भारत सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया। सरकार ने विद्युत मंत्रालय के का.जा. सं. 19/18/96-हाइडेल-11 दिनांक 9 दिसम्बर, 1998 के द्वारा एच.आर.सी. की सिफारिशों पर अपने निर्णय घोषित किए। ऐसा करते समय यह भी निर्णय लिया गया था कि उ.प्र. सरकार पूरे पुनर्वास कार्यों की सीधी जिम्मेदारी लेगी व समस्त कार्य आयुक्त, गढ़वाल मंडल, के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत सीधे ही इसके अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। तथापि पुनर्वास के लिए निधि टी०एच०डी०सी० द्वारा ही राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

हनुमन्ता राव समिति की सिफारिशों पर सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय भी लिया कि पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति के विद्यमान उपबंध जोकि 01.09.1995 से लागू हैं (जैसा कि अक्टूबर, 1995 नीति दस्तावेज



में विनिर्दिष्ट है) अपरिवर्तनीय रहेंगे सिवाय जहां विशेष रूपसे परिवर्तित अथवा संशोधित किए हैं। इस प्रकार से एच.आर. सी रिपोर्ट पर आधारित सरकार द्वारा निर्णयनित संशोधित पुनर्वास और पुनःस्थापन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए सिवाय नये उपायों को कार्यरूप देने के लिए परिवर्तित या परिशोधित उपबंधों के विशेषकर टिहरी परियोजना के लिए विद्यमान पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति और पैकेज लागू रहेंगे।

तदनुसार टिहरी परियोजना के लिए लागू पुनर्वास नीति और पैकेज को सरकार के निर्णयों के अनुसार अद्यतन और संशोधित कर लिया गया है और ये निम्न प्रकार से हैं। संशोधित पुनर्वास और पुनःस्थापन पैकेज 09.12.1998 से प्रभावी होगा।

I. ग्रामीण पुनर्वास पैकेज

विस्थापितों की मांग के अनुसार जहाँ तक संभव है, पूर्णतः प्रभावित परिवारों को चुने गए पुनर्वास स्थलों का विकास करके देहरादून, हरिद्वार के निकटवर्ती जिलों तथा अन्य निकटस्थ जिलों में बसाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन स्थलों का विकास करने में सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं / सुख साधन तथा बिजली, सिंचाई, पेयजल, सड़क, विद्यालय, औषधालय, सामुदायिक केन्द्र आदि विशेष रूप से जहाँ उचित दूरी पर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध कराने पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

09.12.1998 से लागू अद्यतन और संशोधित ग्रामीण पुनर्वास पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i) पात्रता

पुनर्वास लाभों के लिए ग्रामीण परिवारों की पात्रता भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अध्याधीन धारा-4 अधिसूचना की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाती है।

ii) भूमि आवंटन

प्रत्येक भू-विस्थापित परिवार को, चाहे जिसकी अधिग्रहित भूमि दो एकड़ से कम हो, दो एकड़ विकसित सिंचित भूमि दी जाती है जिसकी लागत अधिग्रहित भूमि के संबंध में विस्थापितों को देय क्षतिपूर्ति की राशि से समायोजित की जाएगी। पूर्णरूपेण प्रभावित क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर दो एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाती है।

अथवा

ऐसे पात्र परिवारों, जो कि देहरादून शहर अथवा हरिद्वार शहर में बसने के इच्छुक हों, को वैकल्पिक रूप से आधा एकड़ विकसित, सिंचित भूमि यदि उपलब्ध हो, नगर पालिका की सीमा के निकट उपलब्ध कराई जाती है।

(उ. प्र. सरकार के आदेशों के अनुसार वे ग्रामीण परिवार जिन्होंने करार (बेनामा), उपहार (दान-पत्र), दुरभिसंधिपूर्ण मुकदमों आदि के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में 08.09.1976 के बाद एक एकड़ से कम भूमि अर्जित की हो और वे परिवार जिन्होंने टिहरी परियोजना के प्रभावित क्षेत्रों में 05.03.1978 के पश्चात दो एकड़ भूमि से कम भूमि अर्जित की हो, पुनर्वास नीति के अन्तर्गत भूमि आवंटन के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार से वे ग्रामीण परिवार



जिन्होंने 05.03.1978 के बाद अपनी भू-जोत बेच दी थी और अपने पास केवल दो एकड़ से कम शेष भूमि रखी थी, पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि आवंटन के हकदार नहीं होंगे। वे कृषि भूमिहीन श्रमिक भी जिन्होंने 08.09.1976 के बाद अपनी भूमि बेच दी थी, पुनर्वास नीति के अन्तर्गत भूमि आवंटन के पात्र नहीं होंगे। (ऐसे मामले में जहां व्यक्ति ने न्यायालय आदेश के माध्यम से भूमि अर्जित की है, पुनर्वास लाभ की पात्रता के लिए उसके मामले का निर्धारण न्यायालय आदेश की तिथि के आधार पर किया जाएगा)।

iii) भूमि के लिए प्रतिपूर्ति

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति के भुगतान के प्रयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से अधिग्रहित भूमि की लागत का परिकलन, एस०एल०ए०ओ० द्वारा विनिश्चित दरों के आधार पर किया जाएगा। अधिग्रहित की गई भूमि की लागत यदि आवंटित भूमि की लागत से अधिक होगी तो लागत में अंतर की राशि का उसको भुगतान किया जाएगा, यदि यह लागत कम होगी तो लागत में अंतर की राशि वसूल नहीं की जाएगी। (इस समय अधिग्रहित भूमि के लिए प्रतिपूर्ति की राशि से समायोजित की जाने वाली दो एकड़ आवंटित भूमि की लागत 2 लाख रुपये है जोकि भूमि आवंटन के बदले में देय न्यूनतम नकद राशि के बराबर है)।

iv) भूमि आवंटन के बदले में नकद राशि

वे पात्र व्यक्ति जो कि भूमि आवंटन के स्थान पर नकद प्रतिपूर्ति के विकल्प की इच्छा रखते हैं, उन्हें भूमि भू- अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार यथा निर्धारित नकद प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें तापण (सालेिशियम) की अनुज्ञेय राशि और निम्नलिखित दरों पर अनुग्रह राशि का भुगतान सम्मिलित है:

(रू. प्रति एकड़)

- सिंचित भूमि	:	12000
- श्रेणी-I (गैर-सिंचित भूमि)	:	6000
- श्रेणी-II (गैर-सिंचित भूमि)	:	4000

तथापि 01.09.1995 से यह उपबंध प्रभावी है कि दो एकड़ तक भूमि के बदले में उसे भुगतान की जा रही नकद प्रतिपूर्ति राशि न्यूनतम 2 लाख रू. होगी। (वर्ष 1989-90 में न्यूनतम नकद प्रतिपूर्ति 40,000/- रू. थी और इसे 1991 में बढ़ाकर 60,000/-रू. कर दिया गया था)।

इसके प्रयोजन के लिए किसी विस्थापित से अधिग्रहित दो एकड़ तक की भूमि, ऊपर उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए मूल्यांकित की जाएगी, और यदि प्रतिपूर्ति की राशि 2 लाख रू. से कम बैठती है तो उस मामले में उसे कम से कम 2 लाख रू. दिए जाएंगे। (2 लाख रू. की न्यूनतम राशि जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है, 01.09.1995 से प्रभावी है)। तथापि, यदि स्वीकार्य प्रतिपूर्ति 2 लाख रू. से अधिक बैठती है तो उस मामले में उसे वास्तविक स्वीकार्य राशि का भुगतान किया जाएगा। दो एकड़ से अधिक की भूमि के



उपलब्ध होने पर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा निर्णय किए जाने वाले पुनर्स्थापन स्थल पर, लागत के भुगतान पर प्रत्येक को 200 वर्ग मीटर के भूखण्ड दिए जाएंगे।

ix) भविष्य में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में अग्रिम

09.12.1998 से परियोजना से प्रभावित भूपति परिवारों को टिहरी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि लागत का 25 प्रतिशत अथवा 1,00,000/- रू., जो भी कम हो, के अग्रिम आहरण की अनुमति दी जाएगी। अग्रिम पर 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा। अग्रिम धन राशि और उस पर देय ब्याज उस व्यक्ति को एस०एल०ए०ओ० द्वारा उसकी भू-सम्पत्ति से अधिग्रहण के समय देय क्षतिपूर्ति राशि में से समायोजित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रू. की निधि का सृजन किया जाएगा।

x) नकद अनुदान

निम्नलिखित नकद अनुदान ग्रामीण विस्थापित परिवारों को स्वीकार्य होगा :

(रू० में)

मद	1989-90 की स्थिति के अनुसार	1991-92 से	01.09.1995 से
घरेलू सामान की शिफ्टिंग के लिए अनुदान	3,000	5,000	5,000
बीज और उर्वरक की खरीद के लिए अनुदान	1,000	2,000	4,000

xi) प्रोत्साहन अनुदान

प्रत्येक ऐसे विस्थापित परिवार को घरेलू सामान की शिफ्टिंग के लिए सामान्यतः स्वीकार्य 5,000/-रू. नकद अनुदान राशि के अलावा 15,000/-रू. का अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान स्वीकार्य होगा, जो सितम्बर, 1999 के अन्त तक या भूमि के बदले क्षतिपूर्ति प्रदान करने की तारीख या भूमि आवंटन की तारीख से, छः मास के अंदर जो भी बाद में हो, टी०एच०डी०सी०/पुनर्वास प्राधिकारियों को अपनी अधिग्रहित सम्पत्ति सौंपने के बाद, नए पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित हो जाएंगे। यह अनुदान 01.09.1995 से प्रभावी है।

xii) स्टैम्प ड्यूटी

स्टैम्प ड्यूटी, यदि कोई देय हो तो, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा वहन नहीं की जाएगी। यह 01.09.1995 से प्रभावी तथापि पंजीकरण प्रभार का यदि कोई हो तो, संबंधित व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

xiii) ग्रामीण परिवार द्वारा लिए गए गृह निर्माण ऋण पर देय ब्याज पर आर्थिक सहायता

परियोजना से प्रभावित व्यक्ति द्वारा पुनर्स्थापन कालोनी में आवंटित प्लॉट पर अपने भवन निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/बैंक से लिए गए 1.00 लाख रू० तक के ऋण की राशि पर सामान्य रूप से लागू दर पर 50 प्रतिशत तक ब्याज की राशि के लिये टी०एच०डी०सी० द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की



जाएगी, जोकि 1,00,000/-रु० के ऋण पर अधिकतम 8 प्रतिशत आर्थिक सहायता तक सीमित होगी। तथापि, ऋण प्रदान करने वाले संस्थान के साथ विस्थापित द्वारा मानी गई शर्तों के अनुसार राशि लौटाने में चूक करने के कारण उसके द्वारा देय अतिरिक्त ब्याज की राशि के लिये किसी प्रकार की अधिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। यह लाभ 01.09.1995 से लागू है।

xiv) आंशिक रूप से प्रभावित परिवार

आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को जलमग्न क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि की प्रतिपूर्ति, जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार आकलित किया जाएगा या तो नकद की जाएगी या उन्हें पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों से अधिग्रहित की गई भूमि आवंटित की जाएगी और यह कार्य उन्हें मौजूदा स्थल से विस्थापित किए बिना किया जाएगा।

जलमग्न क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए नकद प्रतिपूर्ति अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों से ली गई वैकल्पिक भूमि के आवंटन के अलावा, आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को, अस्थायी कृषि के लिए निम्न जलाशय स्तर अवधि के दौरान, नाम मात्र लगान पर जलमग्न भूमि उपलब्धता के आधार पर पट्टे पर दी जा सकती है।

वे गांव जहां 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परिवारों को पूर्ण रूप से प्रभावित माना जाता है, वहाँ शेष आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को भी पूर्ण रूप से प्रभावित माना जाएगा। बशर्ते कि वे अपनी संपूर्ण भृति के एवज में पूर्णतः प्रभावित परिवारों पर लागू मानदण्डों के अनुसार नकद प्रतिपूर्ति के भुगतान के पात्र हों तथा वे भूमि आवंटन के पात्र नहीं होंगे।

इस प्रकार के आंशिक रूप से प्रभावित परिवार, जिनको अपनी समग्र भूमि के लिए प्रतिपूर्ति की नकद राशि प्रदान की जाती है, जैसा कि पूर्णतः प्रभावित परिवारों के मामले में किया जाता है, वे स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार अन्य प्रतिपूर्तियों यथा मकान ढांचे के लिए प्रतिपूर्ति, मकान बदलने के लिए प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन अनुदान, बीज व उर्वरक आदि के लिए नकद राशि के लिए भी हकदार होंगे।

xv) परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को अनुग्रह अनुदान

19.07.1990 की स्थिति के अनुसार पूर्ण रूप से प्रभावित ग्रामीण परिवारों के सभी अतिरिक्त जीवित पात्र सदस्य (नीचे परिभाषित पात्रता के अनुसार), जिन्हें खेती के लिए भूमि दी गई है, उनको छोड़कर 750 गुणा न्यूनतम कृषि मजदूरी के समकक्ष अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने के पात्र होंगे जो विद्यमान दरों पर प्रति व्यक्ति 33,000/- रु. है।

इस प्रयोजन के लिए पात्र पूर्णतः प्रभावित परिवार के अतिरिक्त सदस्यों की पात्रता संबंधी मानदंड की परिभाषा में ऐसे वयस्क पुत्र और वयस्क पुत्रियां जिन्होंने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और पूर्ण रूप से प्रभावित पात्र



भू-स्वामी के माता-पिता शामिल हैं। अनुग्रह राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र पूर्णतः प्रभावित परिवारों के अतिरिक्त सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की तारीख 19.07.1990 होगी, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त परिभाषित पात्रता संबंधी मानदण्डों के अनुसार, उपरोक्त अनुग्रह राशि, पूर्णतः प्रभावित ऐसे परिवारों के अतिरिक्त सदस्यों जिनकी पात्रता 19.07.1990 को निर्धारित की गई थी, को भी देय होगी जो अपने पूर्ववर्ती घरों से पहले ही पुनर्वास कालोनियों में चले गए हैं, इनमें वे परिवार भी शामिल हैं, जिन्होंने भूमि के बदले नकद क्षतिपूर्ति का विकल्प अपनाया था।

19.07.1990 की स्थिति के अनुसार, भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवार के अतिरिक्त सदस्य, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, भी उपर्युक्त अनुग्रह राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

यथा परिभाषित ऐसे आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों के अतिरिक्त सदस्यों को; जो ऐसे गांव में हैं जहां 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक परिवार पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, पूर्ण रूप से प्रभावित समझा जाएगा तथा वे भी उपर्युक्त अनुग्रह राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

19.07.1990 की स्थिति के अनुसार परिवार के सभी अतिरिक्त सदस्यों की पहचान राज्य प्रशासन द्वारा जनगणना, मतदाता सूचियों तथा आवश्यक समझे गए ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर, और यदि आवश्यक हो तो जिला प्राधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण कराके की जा सकती है।

xvi) पति और पत्नी को संयुक्त रूप से पुनर्वास संबंधी लाभ

प्रभावित परिवारों को परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को अनुग्रह अनुदान सहित 09.12.1998 से लागू सभी पुनर्वास संबंधी लाभ (भूमि, भूखंड और नकद प्रावधान) पति-पत्नी को संयुक्त रूप से दिया जाएगा व दोनों के संयुक्त नाम में पंजीकरण किया जाएगा। पति-पत्नी के संयुक्त नाम में भूमि/भूखंड का आवंटन/पंजीकरण, कानूनी औपचारिकताएं, यदि कोई हों तो, पूरा करने के आधीन होगा।

xvii) आंशिक रूप से प्रभावित गांवों के लिए पेयजल

परियोजना से सीधे प्रभावित गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त लागत परियोजना निधियों से पूरी की जाएगी।

तथापि, प्रभावित जनसंख्या को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना कालोनियों और परियोजना कार्यों के कारण आंशिक रूप से प्रभावित गांवों सहित, आंशिक रूप से प्रभावित गांवों के लोगों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार योजना को अंतिम रूप देगी और कार्यान्वित करेगी। इसकी पूर्णतः लागत परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई



जाएगी। योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् योजना का प्रचालन और अनुसूक्षण राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

xviii) गियायती दरों पर विजली

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार 15/-रु. प्रति माह के नाममात्र के एक समान प्रभार पर विजली का एक कनेक्शन स्वीकार करके परियोजना प्रभावित परिवारों को लाभ देने पर विचार कर सकती है।

xix) रिंग रोड

राज्य सरकार पर्यावरणीय रक्षोपाय के आधीन, क्षेत्र के विकास के एक भाग के रूप में जलाशय के चारों ओर एक रिंग रोड का निर्माण करने पर विचार कर सकती है जिसके लिए वित्त पोषण और कार्यान्वयन व्यवस्था सहित विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार तथा निर्धारित की जा सकती है।

xx) दुकान स्वामियों को रिंग रोड पर दुकान भू-खंड

जब कभी राज्य सरकार द्वारा रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा तो क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीण दुकान स्वामियों को रिंग रोड के नजदीक लागत लेकर दुकान भूखंड दिए जाएंगे। दुकान भूखंडों का विकास पर्यावरणीय रक्षोपाय के आधीन होगा।

xxi) भूमि के लिए हक

हाल ही में विकसित पुनर्वास स्थलों पर भू-विस्थापितों को हस्तांतरित किए जाने वाले भूमि संबंधी हक का स्वरूप, राज्य सरकार द्वारा जारी मानदंडों/आदेशों के अनुसार शासित होगा।

II. शहरी पुनर्वास पैकेज

शहरी पुनर्वास के मामले में भू-स्वामियों के संबंध में पुनर्वास लाभों के लिए पात्रता धारा-4 की अधिसूचना की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाती है। गैर भूमि-स्वामियों के मामले में सभी ऐसे परिवार जो कि 06.06.1985 की निर्धारित तिथि (कट-ऑफ-डेट) को पुराने टिहरी नगर में रह रहे थे, पुनर्वास संबंधी लाभों के हकदार हैं।

शहरी आबादी, जिसमें विभिन्न कार्यालय, संस्थान और प्रतिष्ठान शामिल हैं, जो कि टिहरी शहर से विस्थापित हो रही है, के पुनर्वास के लिए चुने हुए स्थल पर एक नए टिहरी शहर का विकास किया गया है, जिसमें सभी आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह नया शहर विकासात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र होगा और यहाँ पर अस्पतालों, विद्यालयों, कालेजों, नए शहरी केन्द्र, शापिंग सेंटर, बस स्टैंड और पूजा स्थलों आदि के लिए भवनों का निर्माण हो चुका है।

09.12.1998 से लागू, अद्यतन एवं संशोधित शहरी पुनर्वास पैकेज निम्न प्रकार से है :

i) टिहरी शहर के भू-विस्थापित पात्र परिवारों को नए टिहरी शहर, देहरादून, अथवा ऋषिकेश में जहां इस प्रयोजन



हेतु नई कालोनियों का विकास किया गया है, बसने का विकल्प दिया गया है।

गृह भू-खंडों का आवंटन

- ii) टिहरी शहर के भू-स्वामी, जिनमें नाजुल भूमि के भू-स्वामी भी शामिल हैं, को पुराने टिहरी शहर में उनकी भू-धृति के अनुपात में उसके समतुल्य अथवा उससे अधिक 60, 100, 150, 200, 250 और अधिकतम 300 वर्ग मीटर आकार के आवासीय प्लॉट दिए गए हैं।
- iii) प्रत्येक पात्र भू-स्वामी को नई विकसित पुनर्वास कालोनी में एकसे अधिक रिहायशी प्लॉट नहीं दिया जाएगा, चाहे पुराने टिहरी शहर में उसके पास कितने ही मकान/प्लॉट रहे हों।
- iv) भू-स्वामियों/गृह स्वामियों से प्लॉटों के लिए ली जाने वाली लागत, निम्नलिखित दरों के आधार पर बहुत ही नाममात्र होगी :

प्लॉट का आकार	दर
1) 150 वर्ग मीटर तक	5 रु. प्रति वर्ग मीटर
2) 151 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	150 वर्ग मीटर तक 5 रु. प्रति वर्ग मीटर और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 50 रु. प्रति वर्ग मीटर
3) 201 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर तक	200 वर्ग मीटर के लिए उपर्युक्त (2) में यथा उल्लिखित और इससे ऊपर व अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 100 रु. प्रति वर्ग मीटर
4) 251 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक	250 वर्ग मीटर के लिए उपर्युक्त (3) में यथा उल्लिखित और इससे ऊपर व अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 150 रु. प्रति वर्ग मीटर

- v) देहरादून में विकास संबंधी लागत

नेहरूपुरम् (देहरादून) में विस्थापितों को आवंटित प्लॉटों पर मकानों के निर्माण के लिए, एम०डी०डी०ए० द्वारा यह पुष्टि की गई है कि निर्माण योजना को अनुमोदन प्रदान करते समय उनके द्वारा विस्थापितों से विकास प्रभार की वसूली नहीं की जाएगी।

- vi) किराएदारों को निर्मित फ्लैटों का आवंटन

वे किराएदार, जो 06.06.1985 को पुराने टिहरी शहर में रह रहे थे और तब से टिहरी शहर में ही रह रहे हैं, लागत के भुगतान पर फ्लैट / समूह मकान पाने के हकदार होंगे। तथापि, इसमें सरकारी, अर्धसरकारी और संस्थागत कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। टिहरी परियोजना से सम्बद्ध ठेकेदार और उनके कर्मचारी भी फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।



vii) बेनाप गृह स्वामियों को फ्लैटों का आवंटन

बेनाप गृह स्वामियों, जिन्होंने अपने मकानों का निर्माण 06.06.1985 से पहले कर लिया था, को या तो बने बने मकान/फ्लैट आवंटित किए गए हैं अथवा प्लॉट (यदि उपलब्ध हों) आवंटित किए गए हैं। यदि किसी बेनाप गृह स्वामी को प्लॉट दिया जाता है तो वह अधिकतम 100 वर्ग मीटर आकार का होगा। गृह स्वामी जिनके पास पुराने टिहरी शहर में 60 वर्ग मीटर तक के आकार के प्लॉट पर मकान था, को 60 वर्ग मीटर आकार का प्लॉट दिया गया है, और जिन्होंने पुराने टिहरी शहर में 60 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर मकान बनाया था, उन्हें 50 रू. प्रति वर्ग मीटर की दर पर 100 वर्ग मीटर आकार का प्लॉट दिया गया है। तथापि, बेनाप गृह स्वामियों के मामले में सामान्य नीति, उनके द्वारा लागत का भुगतान किए जाने पर उनको फ्लैट/तैयार मकान उपलब्ध कराने की है।

viii) पैतृक भूमि पर मकान बनाने वाले व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन

ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को, जिनके 06.06.1985 की कट-ऑफ-डेट से पहले, उनकी पैतृक भूमि पर भवन निर्मित थे और जिन्होंने प्रतिपूर्ति ले ली थी, लागत मूल्य का भुगतान करके तैयार फ्लैट लेने की अनुमति होगी, जैसा कि किराएदारों पर लागू है।

ix) गृह सम्पत्ति के लिए प्रतिपूर्ति

पुराने टिहरी शहर में, विस्थापितों से अधिग्रहित मकान सम्पत्ति की लागत अधिग्रहण के समय शहर के लिए लागू, पी०डब्ल्यू०डी० दर पर मूल्यांकित की जाती है। जैसा कि ग्रामीण पुनर्वास के अन्तर्गत निर्दिष्ट है, आंकलित लागत का मूल्य मकान की अवधि के अनुसार घटाया जाता है और 30 प्रतिशत की मूल्यह्रासित लागत के बराबर की सांत्वना राशि का भुगतान गृह स्वामी को अतिरिक्त राशि के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गृह स्वामी को मूल्यह्रास की राशि के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि वह राशि अधिकतम 50,000/-रू. हो। (आंकलन का उदाहरण, ग्रामीण पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पहले ही दिया जा चुका है)।

28.09.1988 से, 1978 से पहले बने मकानों के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम 20,000/- रू. का भुगतान किया गया था, भले ही मकान के ढांचे की मूल्यांकित लागत उपरोक्त राशि से कम थी। टी०एच०डी०सी० द्वारा परियोजना को हाथ में लिए जाने के बाद 1991-92 से मुआवजे की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 40,000/-रू. कर दी गई थी।

x) शहरी परिवारों के लिए गृह निर्माण सहायता

पुराने टिहरी शहर के सभी पात्र पूर्णतया प्रभावित परिवारों के भू-स्वामियों को (बेनाप से भिन्न) 09.12.1998 से गृह



निर्माण सहायता निम्नलिखित दर पर अनुदान के रूप में दी जाएगी :-

- 60 वर्ग मीटर गृह प्लॉट आवंटि को 60,000/-रू.
- 100-200 वर्ग मीटर प्लॉट-धारकों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति जो न्यूनतम 60,000/-रू. को घटाकर 1,20,000/- रू. और
- 250-300 वर्ग मीटर प्लॉट धारकों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति जो न्यूनतम 60,000/-रू. है को घटाकर 1,80,000/- रू.

इस राशि का भुगतान निर्माण और शिफ्टिंग संबंधी प्रगति के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाएगा:

- कुर्मी मतह तक : 30 प्रतिशत
- छत डालने के बाद : 50 प्रतिशत
- शिफ्टिंग पर (टी०एच०डी०सी० को अपने पुराने घरों और प्लॉटों का आधिपत्य कब्जा सौंपने के बाद) : 20 प्रतिशत

जिन्होंने अपने घरों का निर्माण पहले ही कर लिया है और शिफ्ट हो गए हैं तथा जिन्होंने निर्माण कार्य करने के बाद भी शिफ्ट नहीं किया है, उन्हें भी तब एक किश्त में गृह निर्माण सहायता का भुगतान किया जाएगा, जब वे अपने पुराने घर/भूखंडों का कब्जा टी०एच०डी०सी० को सौंपने के बाद अपने नए घरों में शिफ्ट करेंगे।

xi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एक कमरे का प्लॉट

आर्थिक दृष्टि से कमजोर भूमिहीन विस्थापितों (जून, 1985 के सर्वेक्षण के अनुसार अभिजात) को आवंटित किए जाने के लिए एक कमरे वाले अधिकतम 100 प्लॉटों का निर्माण टी०एच०डी०सी० द्वारा अपनी स्वयं की लागत से किया जाएगा और आर्थिक दृष्टि से कमजोर भूमिहीन विस्थापित वर्ग को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।

xii) दुकानों/वाणिज्यिक प्लॉटों का आवंटन

टी०एच०डी०सी० द्वारा नए टिहरी नगर और अन्य पुनर्वास स्थलों में दुकानों का निर्माण किया गया है। ये लागत का भुगतान करने पर उन विस्थापितों को आवंटित की गई है जो पुराने टिहरी नगर में 06.06.1985 को दुकानें चला रहे थे तथा तब से लगातार चला रहे हैं। तथापि, एक दुकान ऐसे दुकान स्वामियों को भी लागत पर आवंटित की जाएगी जो स्वयं दुकान (दुकानें) नहीं चला रहे हैं।

खुली जगह अथवा विकसित प्लॉट उन विस्थापितों को लागत का भुगतान करने पर आवंटित किया जा सकता



है जोकि पुराने टिहरी नगर में 06.06.1985 से पहले पेट्रोल पम्प, टाल, सिनेमा हॉल, लघु उद्योग और होटल आदि जैसे विभिन्न व्यवसाय करते थे, जिसकी दरें निम्नलिखित होंगी :

प्लॉट का आकार	भू-स्वामियों के लिए	बेनाप स्वामियों के लिए
150 वर्ग मीटर तक	10 रु. प्रति वर्ग मीटर	100 रु. प्रति वर्ग मीटर
151 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	150 वर्ग मीटर तक 10 रु. प्रति वर्ग मीटर और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 100 रु. प्रति वर्ग मीटर	150 वर्ग मीटर तक 100 रु. प्रति वर्ग मीटर और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 150 रु. प्रति वर्ग मीटर
201 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर तक	200 वर्ग मीटर तक के लिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 150 रु. प्रति वर्ग मीटर	200 वर्ग मीटर तक के लिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 200 रु. प्रति वर्ग मीटर
251 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक	250 वर्ग मीटर तक के लिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 200 रु. प्रति वर्ग मीटर	250 वर्ग मीटर तक के लिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 250 रु. प्रति वर्ग मीटर
501 वर्ग मीटर और इससे अधिक	500 वर्ग मीटर तक के लिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 250 रु. प्रति वर्ग मीटर	500 वर्ग मीटर तक के लिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 300 रु. प्रति वर्ग मीटर

xiii) फ्लैटो/दुकानों की रियायती लागत

पात्र विस्थापितों से वसूल की जाने वाली समूह गृहों/फ्लैट/दुकानों की लागत की गणना करते समय स्थल विकास लागत प्रभारित नहीं की जाएगी। (यह सरकारी कार्यालयों / संस्थानों के लिए टी०एच०डी०सी० द्वारा निर्मित गृह समूहों/फ्लैटों पर लागू नहीं होगी)।

xiv) फ्लैटो/समूह गृहों के लिए किराया-खरीद योजना

उन किराएदारों / बेनाप मकानों के मालिकों को, जिन्हें लागत का भुगतान करने पर निर्माण किए गए मकान/फ्लैट आवंटित किए गए हैं 01.09.1995 से निम्नलिखित आसान शर्तों पर टी०एच०डी०सी० द्वारा 'किराया-खरीद स्कीम' के अंतर्गत भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी :



- संबंधित व्यक्ति द्वारा फ्लैटों की लागत का 30 प्रतिशत नकद भुगतान कब्जा लेने से पूर्व किया जाएगा।
- शेष 70 प्रतिशत लागत की वसूली 20 वर्षों की अधिकतम अवधि (240 महीने) में किराया-खरीद स्कीम की शर्तों के अनुसार वसूली की जाएगी। इससे कम अवधि में चुकाने हेतु विस्थापित (व्यक्ति) अपना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 8 प्रतिशत वार्षिक गिरायती दर से ब्याज की वसूली की जाएगी और वसूली समान मासिक किश्तों में मासिक किराया आधार पर की जाएगी।
- तथापि 3 माह तक लगातार देय किश्त का भुगतान न किए जाने के मामले में, भुगतान न किए जाने की समय अवधि में भुगतान न की गई राशि पर 16 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
- ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में आवंटित फ्लैट/ग्रुप हाऊस टी०एच०डी०सी० की ही संपत्ति रहेगी और मूल राशि एवं ब्याज की पूरी वसूली टी०एच०डी०सी० को किए जाने तक उस सम्पत्ति पर टी०एच०डी०सी० का प्रथम अधिकार होगा।
- विस्थापित द्वारा कब्जा लेते समय एक मुश्त में समग्र देय लागत का भुगतान किए जाने के मामले में किश्तों में देय लागत की राशि (अर्थात् फ्लैट के मूल्य के 70 प्रतिशत) पर 20 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जाएगी।

xv) प्लॉट के आवंटन के बदले में नकद

01.09.1995 से विस्थापितों को उनकी पात्रता के अनुसार आवासीय प्लॉट के आवंटन के बदले में नकद भुगतान लेने का विकल्प होगा। टिहरी शहर में स्थित अपने परिमर्गों का कब्जा देने पर आवंटन के बदले में नकद राशि निम्न प्रकार से स्वीकार्य होगी :

प्लॉट	(लाख रू. में)
- 60 वर्ग मीटर	1.10
- 100 वर्ग मीटर	1.25
- 150 वर्ग मीटर	1.75
- 200 वर्ग मीटर	2.00
- 250 वर्ग मीटर	2.50
- 300 वर्ग मीटर	3.00
फ्लैट	1.00
दुकाने	
- 20 वर्ग मीटर तक की दुकान	0.40
- 20 वर्ग मीटर से अधिक की दुकान	0.60
- अन्य	0.25

उल्लिखित आवंटन के बदले में नकद राशि का विकल्प स्वीकार करने पर भी विस्थापित पुनर्वास नीति के अन्तर्गत उसे स्वीकार्य अन्य पुनर्वास अनुदान पाने का हकदार होगा। तथापि, उसे यथास्थिति आवासीय प्लॉट/फ्लैट अथवा दुकान, पाने के अपने अधिकार को बिना शर्त अभ्यर्पित करना होगा।



xvi) नकद अनुदान

टिहरी शहर के विस्थापित व्यक्तियों को निम्नलिखित दरों पर नकद विस्थापन अनुदान भी दिया जाता है (समय-समय पर अभिवृद्धित) :

मद	वे जो नए टिहरी नगर में बस गए हैं			वे जो अन्य स्थानों में शिफ्ट कर गए हैं		
	1989-90 के अनुसार	1991-92 से	1.9.95 से	1989-90 के अनुसार	1991-92 से	1.9.95 से
घरेलू सामान के परिवहन के लिए	1000	2000	3000	1500	3000	4000
वाणिज्यिक सामान के परिवहन के लिए						
क) एक ट्रक भार तक (75 क्विंटल)	500	1000	1500	500	1000	1500
ख) एक ट्रक भार से अधिक के लिए	750	1500	2000	750	1500	2000

xvii) प्रोत्साहन अनुदान

उन पात्र परिवारों को, जिन्होंने टी०एच०डी०सी० को अपनी अधिग्रहित सम्पत्ति सौंप दी है तथा सितम्बर 1999 के अन्त तक अथवा प्लॉट/फ्लैट/दुकान के आवंटन की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, नए आवंटित स्थलों पर शिफ्ट कर जाएंगे, प्रति परिवार 12,000/- रु. का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।

xviii) टी०एच०डी०सी० द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार दुकानदारों को 'साज-सज्जा' के लिए प्रतिपूर्ति दी जाएगी बशर्ते दुकान स्वामियों ने इन मदों के लिए प्रतिपूर्ति पहले से न ली हो। इसके अलावा उसे इन मदों को निःशुल्क ले जाने की अनुमति होगी।

xix) परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को अनुग्रह अनुदान

टिहरी शहर के पात्र शहरी भू-स्वामी परिवारों (वेनाप गृह स्वामियों को छोड़कर) के सभी अतिरिक्त जीवित सदस्य (ग्रामीण पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत परिभाषित पात्रता मानदण्डों के अनुसार) न्यूनतम कृषि मजदूरी के 750 गुणा के बराबर, जोकि विद्यमान दरों पर प्रति व्यक्ति 33,000/- रु. की कुल राशि के समकक्ष है अनुग्रह राशि का आहरण करने के हकदार होंगे जैसा कि पूर्ण रूप से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को लागू है। पात्र परिवारों के अतिरिक्त



सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की तारीख 19.07.1990 होगी जैसा कि ग्रामीण परिवारों के लिए लागू है और 19.07.1990 को पात्र परिवार के अतिरिक्त सदस्यों की पहचान राज्य प्रशासन द्वारा की जाएगी।

xx) ग्रामीण अथवा शहरी पुनर्वास संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता

वे विस्थापित, जिनकी भूमि अधिसूचित टिहरी नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और जो कि राजस्व रिकार्डों में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, अपनी इच्छा के अनुसार तो ग्रामीण पुनर्वास अथवा शहरी पुनर्वास संबंधी पुनर्वास लाभों के हकदार होंगे। एक ही भूमि के लिए दो सुविधाएं अनुमत नहीं होंगी।

उन सभी किराएदारों और दुकानदारों को भी जोकि 06.06.1985 से पहले नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे थे, पुराने टिहरी नगर के किराएदार और दुकानदारों के बराबर सामझा जाएगा।

xxi) स्टैम्प शुल्क

आवृत्त भूमि/प्लॉटों, प्लैटों आदि के लिए अभिहस्तांतरण विलेख का भू-विस्थापितों के पक्ष में पंजीकरण कराने के संबंध में भू-विस्थापितों द्वारा देय स्टैम्प शुल्क टी०एच०डी०सी० द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो तो, उसका भुगतान भू-विस्थापितों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

xxii) पति-पत्नी को संयुक्त रूप से पुनर्वास लाभ

परिवार के अतिरिक्त सदस्यों सहित प्रभावित परिवारों को 09.12.1998 से प्रभावी सभी पुनर्वास संबंधी लाभ (भूमि, गृह भूखण्ड और नकद) पति-पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से दिए और पंजीकृत किए जाएंगे। भूमि/गृह भूखण्ड पति-पत्नी के संयुक्त नाम में दिए जाएंगे बशर्ते वे कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हों।

xxiii) निर्माण सामग्री के लिए डिपो

विस्थापितों को अपने मकानों का निर्माण करने के लिए निर्माण संबंधी सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील तथा सी०सी० ब्लाक आदि वास्तविक लागत पर, बिना बिक्री कर उपलब्ध कराने हेतु नए टिहरी शहर में एक डिपो स्थापित किया जाएगा। यदि बिक्री कर लागू होगा तो इसका भुगतान टी०एच०डी०सी० द्वारा दिया जाएगा।

xxiv) नए टिहरी शहर में सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, बैंको और संस्थान भवनों के निर्माण संबंधी नीति

क) पुराने टिहरी शहर में विद्यमान राज्य सरकार के सभी कार्यालयों के संबंध में भवनों का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिनांक 08.06.1965 के सरकारी आदेश संख्या सी - 2299 / एच - 639-61 के अनुसार किया जाता है। पुराने टिहरी शहर में विद्यमान कुरसी (प्लॉट) क्षेत्र के बराबर भवन की लागत को टिहरी परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा और अतिरिक्त स्थान के संबंध में लागत संबंधित विभागों द्वारा वहन की जाएगी। अस्पताल, जेल, स्कूलों तथा कालेजों के लिए भी यही नीति लागू होगी।



- ख) निर्धारित तिथि के अनुसार पुराने टिहरी शहर में विद्यमान कार्यालयों में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए टिहरी परियोजना द्वारा नए टिहरी शहर में आवासों का निर्माण किया गया है। जबकि पुराने टिहरी शहर में कार्यालयों के पास उपलब्ध आवास गृहों की लागत टी०एच०डी०सी० द्वारा वहन की जाएगी, अतिरिक्त आवास गृहों की लागत संबंधित विभागों द्वारा वहन की जाएगी।
- ग) डाक घर, जिसके लिए पुराने टिहरी शहर में स्थित पूर्व-भवन के बदले में टिहरी परियोजना द्वारा भवन का निर्माण किया गया है, को छोड़ कर के सरकार के प्रतिष्ठानों, बैंकों तथा निजी संस्थाओं के लिए कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के निर्माण करने हेतु नए टिहरी शहर में भूमि का आवंटन कर दिया गया है।
- घ) नए टिहरी शहर में स्टेडियम, टाऊन हाल, बस-स्टैंड तथा अन्य जन-सुविधाओं का निर्माण परियोजना की लागत पर किया गया है।
- ड) अर्ध-सरकारी कार्यालयों जैसे जल निगम, यू०पी०एस०ई०बी० तथा जल संस्थान के लिए वही नीति जैसी कि राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए लागू है, अपनाई जाएगी। तथापि, संबंधित कार्यालयों/उपक्रमों से अग्रिम में आवश्यक लागत प्राप्त करने के बाद कार्यालय हेतु अतिरिक्त स्थान अथवा उनके लिए अतिरिक्त आवास भवनों का निर्माण किया जाएगा।
- च) पुराने टिहरी शहर में विद्यमान पूजा स्थलों, जिनके लिए टी०एच०डी०सी० में प्रतिपूर्ति की गति प्राप्त करली गई है, को छोड़कर प्रभावित जनता की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए परियोजना द्वारा जिस सीमा तक संभव होगा, धार्मिक स्थलों का भी निर्माण किया जाएगा।

III. रोजगार और आय सृजन संबंधी योजनाएं

- क) परियोजना प्रभावित परिवारों के आश्रितों को टी०एच०डी०सी० में रोजगार के लिए विशेषकर कामगार और पर्यवेक्षकों की श्रेणी में वरीयता दी जाती है, वशर्ते रिक्तियां उपलब्ध हों तथा वे निर्धारित आवश्यक योग्यताएं एवं अनुभव पूरा करते हों। यह नीति लगातार अपनाई जाती रहेगी।
- ख) विस्थापित परिवारों को उपयोगी व्यवसाय जैसे मुर्गीपालन, पुष्पविज्ञान, मत्स्यपालन, पशुपालन, हस्तकला, खादी संबंधी कार्य आदि में प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार स्व-रोजगार/आय संवर्धन योजनाओं के संवंध में लोगों की आवश्यकताओं के लिए एक बैंच मार्क सर्वेक्षण करवाएगी और इसकी योजना तैयार करके अपेक्षित आय संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वयन करेगी। बैंच मार्क सर्वेक्षण की लागत टी०एच०डी०सी० द्वारा वहन की जाएगी। इस प्रकार की योजनाओं को शुरू करने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार को होगी।
- ग) ठेकेदारों द्वारा रोजगार
परियोजना पर कार्य कर रहे प्रमुख ठेकेदारों को यह सलाह दी जाएगी कि यदि उपलब्ध हों तो वे टिहरी जिले के स्थानीय लोगों को लिपिकीय कर्मचारी, पर्यवेक्षकों और अकुशल कामगारों की श्रेणी में कुछ प्रतिशत तक रोजगार दें।



घ) छोटे ठेके देने के बारे में

स्थानीय लोगों को लाभप्रद रोजगार देने के लिए टी०एच०डी०सी० स्थानीय लोगों को 50,000/- रू. मूल्य तक के छोटे ठेके दे सकती है।

ड) अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा रोजगार

जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण कार्य और उपचार के लिए, वन एवं अन्य संबंधित विभागों को अधिक व्यक्तियों को रोजगार देना होगा। राज्य सरकार टिहरी जिले के स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे और अन्य कार्यों के लिए भविष्य में, रोजगार देने में वरीयता पर विचार करेगी। इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो पुनर्वास कालोनियों में पुनर्वासित हो चुके हैं।

IV. शिकायतों का निपटारा

टी०एच०डी०सी०/राज्य प्रशासन पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों के निपटारे के लिए एक लोक शिकायत कार्यालय खोलेगा। पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा वर्तमान में प्राप्त शिकायतों तथा प्रशासन के उत्तर का सारांश देते हुए एक दस्तावेज भी तैयार किया जाएगा और इसे स्थानीय प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार भावी शिकायतों और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में ऐसा ही दस्तावेज विस्थापितों के सूचनार्थ तैयार किया जाएगा।

आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति, पुनर्वास/पुनर्स्थापना से संबंधित जनता की सामान्य शिकायतों पर विचार करेगी और सरकार के निर्णयानुसार क्रियान्वित की जा रही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति और पैकेज के मूलभूत ढांचे के अध्याधीन निर्णय लेगी। इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।



भानियावाला पुनर्वास स्थल में जूनियर हाई स्कूल

Junior High School at Bhaniyawala Rehabilitation Site



नई टिहरी शहर का एक विहंगम दृश्य

A Panoramic view of New Tehri Town



टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

Tehri Hydro Development Corporation Limited

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

भागीरथ भवन (टाप टेरेस), भागीरथीपुरम्, टिहरी (गढ़वाल)-249001 (उत्तर प्रदेश)

Bhagirath Bhawan (Top Terrace), Bhagirathipuram, Tehri (Garhwai) - 249001 (U.P.)

Published by Corporate Public Relations Department, T.H.D.C. Ltd.

Designed & Printed by : CENTUM